


10/06/26

पत्रावली भ्रम पेश हुई वादी एवं उनके वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय समय में एक-एक कर  
तीन बार भावात्रे लगाई गयी वाकजूद वादी  
व उनके वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली  
गैर हाजिरी एवं असम पैरवी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली केवल शुभाह होकर  
शामिले इफ्तार हो एवं नंबर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन